दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का]
0621-2212105 [आ.] 2217285 [फै.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(विधि–व्यवस्था कोषांग)

****

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से., जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के साथ दिनांक 09.05.2017 को सम्पन्न नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति : यथा पंजी संधारित।

नगर निकाय आम निर्वाचन, 2017 के अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण एवं शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष निर्वाचन हेतु संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई एवं निम्नांकित निदेश दिया गया।

1. आसन्न नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के अवसर पर दिनांक 09.05.2017 को वरीय पुलिस अधीक्षक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों के साथ विधि–व्यवस्था के संधारण के विभिन्न पहलुओं पर गहन समीक्षा की गई । जानकारी दी गई कि नगरपालिका आम निर्वाचन दिनांक 21.05.2017 को सम्पन्न होना है । इस हेतु आवश्यक है कि निर्वाचन से संबंधित समस्त गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए । सभी प्रकार के कार्यों को एक रणनीति के तहत निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराने की अनिवार्यता होगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराना सबों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

2. जानकारी दी गई कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 244, नगर पंचायत मोतीपुर में कुल 20 एवं नगर पंचायत कॉटी में कुल 21 मतदान केन्द्रों को चिन्हित किया गया है, जिस पर मतदान होना है।

3. **मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन–** भूमि सुधार उप समाहर्ता, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि वार्ड संख्या 1 से 10 तक अवस्थित मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया गया है। कतिपय मतदान केन्द्रों पर शेड की आवश्यकता है तो कतिपय मतदान केन्द्रों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना आवश्यक है। सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करा लिया जाए। भौतिक सत्यापन में सभी मतदान केन्द्रों पर सभी आवश्यक न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता है या नहीं इसे देखना है। जिन मतदान केन्द्रों पर किसी प्रकार की सुविधा का अभाव है तो उसकी व्यवस्था समयपूर्व करा लिया जाए, ताकि मतदान के दिन किसी मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस हेतु दो दिनों के भीतर आवश्यकताओं का आकलन करते हुए एवं आवश्यक राशि की गणना करते हुए जिला पंचायत राज पदाधिकारी से मांग कर ली जाए। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी निर्वाची पदाधिकारियों से प्राप्त मांग के अनुरूप अग्रिम के रूप में राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन से सबंधित सभी कार्य पूर्व से चिन्हित एजेंसियों के माध्यम से निर्धारित दर पर ही करायें।

4. **मतदान केन्द्रों पर दीवार लेखन–** भूमि सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने पर्यवेक्षण में सभी मतदान केन्द्रों पर

निर्धारित समय सीमा के भीतर दीवार लेखन कराना सुनिश्चित करें। जिस कमरे में मतदान केन्द्र अवस्थित है उस कमरे के ठीक सामने दीवार लेखन कराया जाए, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

5. सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी मतदान केन्द्रों पर आवश्यक फर्नीचर का आकलन करते हुए उसकी पूर्व से व्यवस्था करा ली जाए। फर्नीचर कहां से लाया जाएगा इसकी भी सम्बद्धता करा दें।

6. समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि कतिपय स्थानों पर अलग–अलग कमरे में अवस्थित मतदान केन्द्रों को एक ही भवन के रूप में पहचान किया गया है। सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जहां भी इस प्रकार की समस्या है उसका भौतिक सत्यापन कराते हुए उसमें अपेक्षित सुधार करा लिया जाए। कोई भी मतदान केन्द्र 100 मीटर से अधिक की दूरी पर अवस्थित है तो उसे अलग भवन माना जाएगा।

7. सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मतदान कर्मियों को रात्रि में संबंधित मतदान केन्द्रों पर आवासन की व्यवस्था करायें। नगर पंचायत मोतीपुर तथा कांटी में पी0सी0सी0पी0 एवं दडाधिकारियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रखण्ड मुख्यालय में भी ठहराव की व्यवस्था करा देंगे एवं अगले दिन प्रातः को सम्बद्ध मतदान केन्द्रों पर समय से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

7.1 निदेश दिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित सभी मतदान केन्द्रों पर ही पोलिंग पार्टी, पी0सी0सी0पी0, दंडाधिकारियों एवं पुलिस बलों को रात्रि में आवासन कराना सुनिश्चित करें। निर्वाची पदाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष इसे सुनिश्चित करायेंगे।

8. **आदर्श आचार संहिता –** सभी निर्वाची पदाधिकारियों/अनुमंडलाधिकारियों/पुलिस उपाधीक्षकों/प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/थानाध्यक्षों को निदेश दिया गया कि यदि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले प्रकाश में आते है तो तुरंत दोषी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

8.1 निदेश दिया गया कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक झंडा, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि परिलक्षित नहीं होना चाहिए । सभी थानाध्यक्ष/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सक्षम पदाधिकारी हैं। किसी भी स्तर पर शिथिलता एवं लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

8.2 अनुमंडलाधिकारियों एवं पुलिस उपाधीक्षकों को निदेश दिया गया कि सभी संबंधित थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता के सभी पहलुओं के बारे में आवश्यक निदेश उपलब्ध करा दिया जाए। उन्हें यह भी निदेश दिया जाए कि वे अपने–अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहेगे तथा कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसे सुनिश्चित करायेंगे। भ्रमण के क्रम कें अपने साथ वीडियोग्राफर को रखेंगे जो आवश्यकतानुसार आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बिन्दु पर वीडियोग्राफी कर उसे अभिलेख के रूप से संधारित रखेंगे।

8.3 अनुमंडलाधिकारियों/पुलिस उपाधीक्षकों को निदेश दिया गया कि शहरी क्षेत्रान्तर्गत लगाये बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स के संबंध में यह भी पता लगायेंगे कि यदि नगर निगम के

क्षेत्राधिकार वाले स्थल पर लगा हुआ है तो क्या नगर निगम से विधिवत अनुमति ली गई है या नहीं । यदि बिना अनुमति के पाये जाते हैं अविलंब कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

9. **शस्त्र सत्यापन** :– नगरपालिका आम सभा निर्वाचन, 2017 के अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण के दृष्टिगत समीक्षा के दौरान पाया गया कि शस्त्र सत्यापन के संबंध में सभी थानाध्यक्षों के द्वारा शतप्रतिशत शस्त्र सत्यापन अभी नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्षों/पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि आम सूचना के माध्यम से वैसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाये कि जिनके द्वारा अभी तक शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया गया है तथा उनके शस्त्र का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें ।

9.1 निदेश दिया गया कि सभी थानाध्यक्ष अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत मालखाना का भौतिक निरीक्षण कर लेंगे एवं शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर साटे गये फोटो से मिलान कर नियमानुसार शस्त्र का भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे ।

9.2 सभी अनुमंडलाधिकारियों/पुलिस उपाधीक्षकों/सभी थानाध्यक्षों को निदेश दिया गया कि यदि किसी शस्त्रधारक के द्वारा चुनाव कार्य में बाधा उत्पन्न किये जाने की संभावना प्रतीत होती है उसे चिन्हित करते हुए उनके शस्त्र को विधिवत जमा कराने की कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि किसी अन्यर्थी या उनके परिजन के द्वारा भी किसी प्रकार की संवेदनशील गतिविधि किये जाने अथवा चुनाव प्रक्रिया को बाधित किये जाने की आशंका प्रतीत होती है तो उनके शस्त्र को भी नियमानुसार जमा करा ली जाए।

10. सभी अनुमंडलाधिकारियों/पुलिस उपाधीक्षकों/सभी थानाध्यक्षों/प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया संबंधित मतदान केन्द्रों के भौगोलिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत भेद्यता को बढ़ावा देने वाले आपराधिक छवि के असामाजिक तत्वों की पहचान करते हुए उनके विरूद्ध अधिक से अधिक 107, सी0सी0ए0–3 एवं निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा उसका दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।

10.1 सभी थानाध्यक्षों एवं अनुमंडलाधिकारियों/पुलिस उपाधीक्षकों को स्पष्ट निदेश दिया गया कि थानावार/मतदान केन्द्रवार जिन व्यक्तियों से निर्वाचन के दौरान विधि–व्यवस्था प्रभावित होने अथवा शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है, का चयन करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा प्रतिवेदित करें । इसके अलावा कैम्प कोर्ट के माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन करें । अधिकाधिक संख्या में भेद्यता के कारक तत्वों एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का धड़–पकड़ करना सुनिश्चित करें । साथ ही गत निर्वाचन के दौरान चिन्हित आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों तथा थाना अपराध पुस्तिका में दर्ज सभी व्यक्तियों के संबंध में समेकित सूची तैयार कर सघन छापेमारी करते हुए उसकी गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करें । इसके अलावा सेक्टर पदाधिकारियों के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित करते हुए एवं उनसे आवश्यक सूचना प्राप्त कर भी ऐसे तत्वों की पहचान सुनिश्चित करें।

10.2 निदेश दिया गया कि सभी संवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिन्हित करते हुए भेद्यता फैलाने वाले कारक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि वैसे निर्वाचन क्षेत्र जहां पर दो या इससे अधिक अभ्यर्थियों के बीच पूर्व से किसी प्रकार का मतभेद हो या निर्वाचन के दिन किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न किये जाने की आशंका हो को विशेष रूप से चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

10.3 सभी थानाध्यक्षों को निदेश दिया गया कि गत वर्ष यदि किसी मतदान केन्द्र पर साम्प्रदायिक तनाव/मार--पीट अथवा हंगामा हुई हो वैसे असामाजिक तथ्वों तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध 107 एवं अन्य निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा प्रतिवेदित करें।

10.4 अनुमंडलाधिकारियों एवं पुलिस उपाधीक्षकों को निदेश दिया गया कि संवेदनशील मतदान केन्द्रों से सम्बद्ध अभ्यर्थियों के साथ शीघ्र बैठक कर एवं प्राप्त सूचना के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

10.5 समीक्षा के क्रम में मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्रान्तर्गत सिकन्दरपुर मन का क्षेत्र, वार्ड नंबर 17 एवं 12, महाराजी पोखर का क्षेत्र, रामबाग, बार्ड नंबर 46, बाबा साहब भीम राव अम्बेकर विश्वविद्यालय का क्षेत्र, मझौलिया का क्षेत्र, ब्रहमपुरा, मिठनपुर आदि का क्षेत्र अधिक संवेदनशील होने की बात प्रकाश में आई। अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पुलिस उपाधीक्षक, नगर एवं सभी संबंधित थानाध्यक्षों को निदेश दिया गया कि इन क्षेत्रों में विशेष रूप से निगरानी रखी जाए एवं असामाजिक तथ्वों तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध 107 एवं अन्य निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

11. सभी निर्वाची पदाधिकारियों/सहायक निर्वाची पदाधिकारियों/अनुमंडलाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/थानाध्यक्षों/प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि व्रजगृह स्थल का भौतिक रूप से निरीक्षण करते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु भवन प्रमंडल से समन्वय स्थापित कर आवश्यक बैरीकेडिंग आदि का कार्य कराना सुनिश्चित करें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

ह०/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—
जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 2666 /गो.(वि.व्य.), दिनांक 10/5/17

प्रतिलिपिः— वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर/सभी निर्वाची पदाधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/सभी पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरपुर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुरउप निर्वाचन पदाधिकारी/नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 हेतु गठित सभी कोषांगों के वरीय/नोडल पदाधिकारियों/सभी सहायक निर्वाची पदधिकारियों/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष, नगर निगम क्षेत्र/नगर पंचायत मोतीपुर/कांटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—
जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर।